उत्तर प्रदेश शासन
स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग–1
संख्या : 15/2024/319/94-1-2024-312(120)/2023
लखनऊ, दिनांक : 20 अगस्त, 2024

अधिसूचना

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम संख्या 16 सन् 1908) की धारा 5 एवं 7 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके तथा इस निमित्त जारी पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं का आंशिक उपान्तर करके राज्यपाल, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से-

(एक) नीचे अनुसूची-'क' एवं अनुसूची-'ख' में दिये गये राजस्व ग्रामों को सम्मिलित करते हुए जिला ललितपुर में एक नया रजिस्ट्रीकरण उप जिला ''पाली'' सृजित करते हैं, तथा

(दो) नीचे अनुसूची-'क' एवं अनुसूची-'ख' में दिये गये राजस्व ग्रामों के क्षेत्रों को अपवर्जित करके जिला ललितपुर के रजिस्ट्रीकरण उप जिला 'महरौनी एवं ललितपुर' की सीमाओं में परिवर्तन करते हैं।

अनुसूची-क

जिला ललितपुर के रजिस्ट्रीकरण उप जिला 'महरौनी' से अपवर्जित किये गये एवं नवसृजित रजिस्ट्रीकरण उप जिला ''पाली'' में सम्मिलित किये गये ग्रामों की सूची-

1	इमिलियाकलां	2	खैराई	3	गौना मडावरा	4	जमोरा
5	जिलोनी	6	झरावटा	7	डोगराकलां	8	तरावली
9	दिग□वार	10	दौलतपुर	11	नयागाँव	12	नाराहट
13	पटना सिदवाहा	14	बम्होरी सिदवाहा	15	बरेजी	16	बडगाना
17	बछरई	18	बगौनी	19	मकरीपुरी	20	महाराजपुरा
21	ललितपुर	22	सरखडी				

अनुसूची-ख

जिला ललितपुर के रजिस्ट्रीकरण उप जिला 'ललितपुर' से अपवर्जित किये गये एवं नवसृजित रजिस्ट्रीकरण उप जिला ''पाली'' में सम्मिलित किये गये ग्रामों की सूची-

1	इमिलिया	2	उत्तमधाना	3	उमरिया डोगरा	4	उमरिया वीरान
5	ऐरावनी	6	ककोरिया	7	कनपुरा	8	करमरो
9	कलरव	10	कलौथरा	11	किंरौदा	12	कुमरौला
13	कुलुवा	14	कैथौरा	15	कोकटा	16	क्योलारी
17	खाईखेरा	18	खिरिया पाली	19	गिल्टौरा	20	घुटारी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

21	चन्देरा	22	चीमना	23	चौतराघाट	24	चौबारो
25	जामुनधाना कलां	26	टीला	27	ठगारी	28	डुंगरिया
29	डोरना	30	डोंगरा कलॉ	31	दांवर	32	दूधई
33	निवौआ	34	नीमखेरा	35	पटौवा	36	पठरा
37	पठराई	38	पठारी	39	पठारी	40	पडना
41	पडोरिया	42	पाली	43	पिपरिया जागीर	44	पिपरिया डोंगरा
45	पिपरिया पाली	46	पिपरोनिया	47	पुरा	48	बछलापुर
49	बन्ट	50	बमनौरा	51	बम्हौरी बिरधा	52	बम्हौरी वंशा
53	बरखेरा	54	बरेठी	55	बरौदा बिजलौन	56	बरौदिया
57	बरौदिया राइन	58	बालाबेहट	59	बांसपुर	60	बेटना
61	बेसरा	62	बंगरिया	63	ब्योहारपुरा	64	भौंता
65	मगरपुर	66	मडना	67	महोली	68	मामदा
69	मुडारी	70	मैनवार	71	रजौरा	72	रसोई
73	रिछा	74	रीछपुरा	75	लिधौरा	76	सजा
77	सतौरा	78	सलैया	79	सिंगैपुर	80	सिमरधा
81	सुखपुरा	82	सेमरा	83	सैपुरा खालसा	84	हनौतिया

राज्यपाल अग्रतर निदेश देतें हैं कि इस अधिसूचना की किसी बात का प्रभाव किसी न्यायालय में जिसने अब तक उक्त क्षेत्रों के सम्बन्ध में अधिकारिता का प्रयोग किया है, पहले से प्रारम्भ की गयी या लम्बित किसी विधिक कार्यवाही पर नहीं पड़ेगा।

आज्ञा से,

लीना जौहरी
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या : 15/2024/319/94-1-2024-312(120)/2023 दिनांक : 20 अगस्त, 2024

प्रतिलिपि- हिंदी एवं अंग्रेजी अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया इसे दिनांक 20 अगस्त, 2024 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात गजट की 100 प्रतियाँ आयुक्त (स्टाम्प), उत्तर प्रदेश लखनऊ को तथा 50 प्रतियाँ शासन के इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

अन्द्रा वामसी
विशेष सचिव।

संख्या : 15/2024/319/94-1-2024-312(120)/2023 दिनांक : 20 अगस्त, 2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ०प्र० शासन।
2. प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
3. प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन।
4. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, उ०प्र० कानपुर।
5. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद् , उ०प्र० लखनऊ।
6. मण्डलायुक्त, झाँसी मण्डल, झाँसी।
7. महानिरीक्षक निबन्धन, उ०प्र० लखनऊ।
8. जिलाधिकारी, ललितपुर।
9. अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), पदेन जिला निबन्धक, ललितपुर।
10. उप महानिरीक्षक निबन्धन, झाँसी मण्डल, झाँसी।
11. सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, ललितपुर।
12. विधायी अनुभाग-1
13. गार्ड फाइल।

अन्द्रा वामसी
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Uttar Pradesh Shasan
Stamp evam Registration Anubhag-1

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no. 15/2024/319/94-1-2024-312 (120)/2023 dated 20 August, 2024:

Notification

No. 15/2024/319/94-1-2024-312(120)/2023
Lucknow; Dated : 20 August, 2024

In exercise of the powers under sections 5 and 7 of the Registration Act, 1908 (Act no. 16 of 1908) read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897) and in partial modification of earlier notifications issued in this behalf, the Governor, with effect from the date of publication of this notification in the Gazette, is pleased to,—

(i) create a new registration sub-district "Pali" in district Lalitpur by including revenue villages given in Schedule-A and Schedule-B below; and

(ii) alter the limits of registration sub-districts 'Mahrauni' and 'Lalitpur' of district Lalitpur by excluding the areas of revenue villages given in the Schedule-A and Schedule-B below, respectively.

Schedule-A

List of villages excluded from the registration sub-district 'Mahrauni' of district Lalitpur and included in the newly created registration sub-district "Pali"

1	Imiliya Kalan	2	Khairai	3	Gona Madawara	4	Jamora
5	Jilonee	6	Jharota	7	Dograkalan	8	Tarawali
9	Digwar	10	Dolatpur	11	Nayagao	12	Narahat
13	Patna Sindwaha	14	Bamhori Sindwaha	15	Bareja	16	Badhgana
17	Bachhrai	18	Bagoni	19	Makripur	20	Maharajpura
21	Lalitapur	22	Sarkhadi				

Schedule-B

List of villages excluded from registration sub-district 'Lalitpur' of district Lalitpur and included in the newly created registration sub-district "Pali"

1	Emiliya	2	Uttamdhana	3	Umariyadongra	4	Umariya Veeran
5	Erawani	6	Kakoriya	7	Kanpura	8	Karmaro
9	Kalrav	10	Kalauthara	11	Kirroda	12	Kumraula
13	Kuluva	14	Kaithora	15	Kokata	16	Kyolari
17	Khaikhera	18	Khiriyapali	19	Giltaura	20	Ghutari

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

21	Chandera	22	Chimna	23	Chautraghat	24	Chaubaro
25	Jamundhana Kalan	26	Tila	27	Thagari	28	Dugariya
29	Dorna	30	Dongra Kalan	31	Danwar	32	Dodhai
33	Nivauoua	34	Neemkhera	35	patauwa	36	Pathra
37	Pathrai	38	Pathari	39	Pathari	40	Padna
41	Padoriya	42	Pali	43	Pipariya Jagir	44	Pipariya Dongra
45	Pipariya Pali	46	Pipronia	47	Pura	48	Bachhlapur
49	Bunt	50	Bamnaura	51	Bamhauri Virodha	52	Bamhauri Vansha
53	Barkhera	54	Barethi	55	Baroda Bijlaun	56	Barodia
57	Barodia Raine	58	Balabehat	59	Banspur	60	Betna
61	Besra	62	Bangaria	63	Beoharpura	64	Bhonta
65	Magarpur	66	Madna	67	Maholi	68	Mamda
69	Mudari	70	Mainwar	71	Rajoura	72	Rasoi
73	Richha	74	Reachpura	75	Lidhaura	76	Saja
77	Sataura	78	Salaiya	79	Singaipur	80	Simardha
81	Sukhpura	82	Semra	83	Saipura Khalsa	84	Hanautiya

The Governor is further pleased to direct that nothing in this notification shall affect any legal proceeding which has already commenced or is pending in any Court of law which has hitherto exercised jurisdiction in respect of the said areas.

By order,

Leena Johri
Pramukh Sachiv.

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।